

रिपोर्ट पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक- श्रीमानजी, निवेदन है कि खान-  
 ग्राम पारवडो कावास जमावदी सम्वत 2074-77 खान स. 48 में  
 जर्गी का नाम सुल्तान पु नोरगा द्वय है जबकि दस्तावेज आधार  
 कार्ड व 10वीं गार्डशीट व पैन कार्ड आदि में जर्गी का नाम  
 सुल्तान सिंह पारवड पु नोरगराम पारवड है ग्राम आम में सुल्तान  
 कर्ने पर वतामा सुल्तान पु नोरगा एव सुल्तान सिंह पारवड  
 पु नोरगराम पारवड दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अतः खान  
 स. 48 में द्वय नाम सुल्तान पुत्र नोरगा के स्थान पर सुल्तान सिंह  
 पारवड पु नोरगराम पारवड गृह किया जाना उचित है।

Abhishek  
 प. बुली  
 03/06

248  
 6/6/2023  
 प्रशासनिक

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

3-6-23

प. 8 व न. 8 (1) रिपोर्ट के आधार  
 पर ~~अनुमति~~ अनुमति दी जाती है।

03/06/23  
 तहसीलदार  
 बुन्देल

आदेश

मुनाबिड रिपोर्ट तहसीलदार राजाख ग्राम पारवडो का  
 खान के खान स. 48 में खान पड के साथ सुल्तान  
 दस्तावेजों के आधार पर जर्गी का नाम सुल्तान पु  
 नोरगा के स्थान पर सुल्तान सिंह पारवड पुत्र नोरगा  
 पारवड दुल्हनी के आदेश दिए जाते हैं। जमावदी के श  
 इन्द्राज सथावन रहेगी।

SU

उपखण्ड अधिकारी  
 बुन्देल (राज.)